भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2243

उत्तर दिनांक 20/03/2025 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा मिशन

2243. श्री नारायण कोरागप्पा

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) बजट में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस मिशन हेतु किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है और क्या आवंटन में लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) विकसित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराना भी शामिल है;

(ग) क्या एसएमआर विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी मांगी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन करने की कोई आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) व (ख) बजट-2025 में घोषित नाभिकीय ऊर्जा मिशन में वर्ष 2047 तक 100 गीगावॉट नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रस्ताव है, जो वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य के लिए आवश्यक है। मिशन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों के लिए विश्वसनीय ऊर्जा विकल्प उपलब्ध कराना है, जिसका उद्देश्य बंद हो रहे तापीय विद्युत संयंत्रों का प्रतिस्थापन, अधिक ऊर्जा अपेक्षित उद्योग के लिए स्वोत्पाद (कैप्टिव) संयंत्र स्थापित करना और ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के उद्देश्य से दूरस्थ और ग्रिड से न जुड़े स्थानों के लिए ऊर्जा प्रदान करना है।

डीएई निम्नलिखित एसएमआर का अभिकल्पन और विकास कर रहा है:

1. भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (बीएसएमआर) - 200 मेगावाट,
2. लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) - 55 मेगावाट, और
3. हाइड्रोजन उत्पादन के लिए गैस-शीतित उच्च-तापमान रिएक्टर।

वर्ष 2033 तक पांच एसएमआर के स्थापन के लिए बजट-2025 में 20,000 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई है। ऊपर उल्लिखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास को समर्थन देने के लिए भी निधि आवंटित की गई है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बजट प्रस्ताव के भाग के रूप में, भारत लघु रिएक्टर (बीएसआर) की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करने के लिए नीति निर्देश निर्धारित किए गए हैं, और उसी के अनुसरण में, एनपीसीआईएल ने बिजली उत्पादन के लिए स्वोत्पाद (कैप्टिव) संयंत्र के रूप में छोटे आकार के 220 मेगावाट-पीएचडब्ल्यूआर आधारित एनपीपी को वित्तपोषित करने और स्थापन करने के लिए निजी उद्योगों को अनुरोध प्रस्ताव जारी किया है।

(घ) परमाणु ऊर्जा अधिनियम में आवश्यक संशोधनों पर विचार करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) में एक कार्य दल का गठन किया गया है। इस कार्य दल में डीएई, एईआरबी, एनपीसीआईएल, नीति आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सदस्य हैं। कार्य दल निजी क्षेत्र द्वारा एनपीपी का निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, नाभिकीय संरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षोपायों, ईंधन प्रापण/निर्माण, अपशिष्ट, प्रबंधन, भुक्तशेष ईंधन का पुनर्प्रसंस्करण आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त, एक अलग कार्य दल निजी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उठाई गई शंकाओं के समाधान के लिए नाभिकीय क्षति असैन्य दायित्व अधिनियम (सीएलएनडी अधिनियम) पर भी विचार कर रही है।

*****